उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक
विकास प्राधिकरण

UPSIDA

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
A-1/4, लखनपुर,
पोस्ट बाक्स नं. 1050
कानपुर – 208024
दूरभाष : 2582851–53(PBX)
वेबसाइट : www.upsidc.com
ई.मेल : md@upsidc.com

संदर्भ सं0 748-55/यूपीसीडा/आई0ए0/

दिनांक 07/07/2021

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण के संचालक मण्डल की दिनॉक 22.06.2021 को सम्पन्न 38वीं बैठक में प्राधिकरण के समस्त अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्रों में अनुरक्षण शुल्क की दरों में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पर संचालक मण्डल द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के कम में प्राधिकरण के आवंटित औद्योगिक एवं व्यवसायिक/फैसलिटी/एकल आवासीय/ग्रुप हाउसिंग तथा संस्थागत (शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक) भूखण्डों में अनुरक्षण शुल्क की दरों से संबंधित पूर्व निर्गत समस्त आदेशों को आदेश निर्गत होने की तिथि से अवकमित करते हुए अनुरक्षण शुल्क की दरें निम्नवत् पुनरीक्षित की जाती है:–

(अ) औद्योगिक भूखण्डों हेतु अनुरक्षण शुल्क की दरें :–

क0	औ0क्षे0 का वर्गीकरण	अनुरक्षण शुल्क की संशोधित दरें (प्रतिवर्ग मीटर प्रतिवर्ष)
1	**मन्थर गामी औ0क्षे0**	
	भूखण्ड क्षेत्रफल 25एकड़ तक	रू0 10.00
	भूखण्ड क्षेत्रफल 25से 50 एकड़ तक	रू0 08.00
	भूखण्ड क्षेत्रफल 50से 100 एकड़ तक	रू0 06.00
2	**तीव्र/अति तीव्र गामी औ0क्षे0**	
	भूखण्ड क्षेत्रफल 25एकड़ तक	रू0 20.00
	भूखण्ड क्षेत्रफल 25से 50 एकड़ तक	रू0 16.00
	भूखण्ड क्षेत्रफल 50से 100 एकड़ तक	रू0 12.00

उपरोक्त दरों के आधार पर ऑगणित अनुरक्षण शुल्क की दरें अधिकतम सीमा 100 एकड़ क्षेत्रफल पर लागू होगी । 100 एकड़ क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर अनुरक्षण शुल्क 100 एकड़ क्षेत्रफल के भूखण्ड पर ऑगणित अनुरक्षण शुल्क के समतुल्य होगा ।

(ब) **व्यवसायिक/फैसिलिटी/ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों हेतु संशोधित दरें :**
सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्र/सेक्टर के औद्योगिक/आवासीय भूखण्डों हेतु निर्धारित अनुरक्षण शुल्क की दरों का 2.5 गुना प्रतिवर्गमीटर प्रति वर्ष ।

(स) **एकल आवासीय/संस्थागत उपयोग के आरक्षित भूखण्डों हेतु संशोधित दरें :**
समीपस्थ औद्योगिक क्षेत्र के औद्योगिक भूखण्ड हेतु निर्धारित अनुरक्षण शुल्क के समतुल्य प्रतिवर्गमीटर प्रतिवर्ष ।

प्राधिकरण के समस्त प्रकृति के आवंटित भूखण्डों में भारित अनुरक्षण शुल्क की दरें यदि आवंटन पत्र/लीज–डीड में विशिष्ट रूप से प्रावधानित हैं तो तद्नुसार प्रभावी होगीं अन्यथा अनुरक्षण शुल्क की उपरोक्त दरें तत्काल प्रभाव से लागू होगीं। कार्यालय आदेश निर्गत होने के पूर्व अवधि के अनुरक्षण शुल्क की देयता पूर्व निर्धारित दरों पर ही होगी।

Scanned with CamSca

कार्यालय आदेश निर्गत होने की तिथि से पूर्व निस्तारित समस्त प्रकरणों पर यह कार्यालय आदेश प्रभावी नहीं होगा। समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी उपरोक्तानुसार आवंटियों/हस्तान्तरियों से अद्यतन तिथि तक अनुरक्षण शुल्क की देयताओं के मॉग-पत्र समय से निर्गत करना सुनिश्चित करेगें।

(मयूर माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संदर्भ सं0 748-755/यूपीसीडा/आई0ए0/ दिनांक 07/07/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव-मा0 अध्यक्ष, यूपीसीडा, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव-मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
3. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (आर/एन), यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
4. समस्त अनुभागाध्यक्ष, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
5. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी/वरिष्ठ प्रबन्धक-सिविल/विद्युत, यूपीसीडा
6. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, औ0क्षे0 अनुभाग, मुख्यालय, यूपीसीडा, कानपुर।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर अनुभाग, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर को प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने के निर्देश के साथ।
8. गार्ड फाईल

(मयूर माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Scanned with CamSca

उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक
विकास प्राधिकरण

UPSIDA

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
A-1/4, लखनपुर,
पोस्ट बाक्स नं. 1050
कानपुर – 208024
दूरभाष : 2582851–53(PBX)
वेबसाइट : www.upsidc.com
ई.मेल : md@upsidc.com

संदर्भ सं0 /यूपीसीडा/आई0ए0/ दिनांक /07/2021

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण के संचालक मण्डल की दिनॉक 22.06.2021 को सम्पन्न 38वीं बैठक में लिए गए निर्णय के कम में प्राधिकरण के समस्त अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्रों में औद्योगिक/व्यवसायिक/एकल आवासीय/ग्रुप हाउसिंग/संस्थागत/फैसिलिटी आदि समस्त भू–उपयोगों हेतु आरक्षित भूखण्डों के आवंटन, हस्तान्तरण, समय विस्तारण, पुनर्जीवीकरण आदि सेवाओं में आवंटियों/हस्तान्तरियों द्वारा देय धनराशि जिनमें प्राधिकरण के नियमानुसार ब्याज भारित किया जाता है, में ब्याज की दरों से संबंधित पूर्व में निर्गत समस्त आदेशों को अवकमित करते हुए निम्नवत् पुनर्निर्धारित किया जाता है :–

1. प्राधिकरण के समस्त देयों हेतु दिनॉक 01.07.2021 के पश्चात उद्यमियों द्वारा देय धनराशि पर ब्याज की दर 8.5 प्रतिशत होगी। यह दर दिनॉक 30.06.2022 तक प्रभावी होगी।

2. आवंटियों/हस्तान्तरियों द्वारा समय से देयों का भुगतान न करने पर डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज की दर 3 प्रतिशत (प्रत्येक छःमाह की कम्पाउण्डिंग सहित) होगी। दण्ड ब्याज की धनराशि आवंटी/हस्तान्तरी द्वारा देय ब्याज की धनराशि के अतिरिक्त देय होगी।

3. प्राधिकरण के पूर्व से आवंटित/हस्तान्तरित भूखण्डों पर निर्गत आवंटन पत्र/हस्तान्तरण पत्र एवं निष्पादित पट्टा–विलेख में यदि ब्याज की दरें अंकित हो तो तद्नुसार प्रभावी होगी अन्यथा उपरोक्त दरें लागू होगी।

यह कार्यालय आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा कार्यालय आदेश निर्गत होने की तिथि से पूर्व निस्तारित समस्त प्रकरणों में उक्त दरें प्रभावी नहीं होगीं।

(मयूर माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संदर्भ सं0 732-39/यूपीसीडा/आई0ए0/पालसी–वाल्यूम–17 दिनांक 07/07/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–मा0 अध्यक्ष, यूपीसीडा, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव–मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
3. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (आर/एन), यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
4. समस्त अनुभागाध्यक्ष, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
5. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी/वरिष्ठ प्रबन्धक–सिविल/विद्युत, यूपीसीडा
6. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, औ0क्षे0 अनुभाग, मुख्यालय, यूपीसीडा, कानपुर।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर अनुभाग, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर को प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने के निर्देश के साथ।
8. गार्ड फाईल

(मयूर माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Scanned with CamSca

उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक
विकास प्राधिकरण

UPSIDA

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
A-1/4, लखनपुर,
पोस्ट बाक्स नं. 1050
कानपुर – 208024
दूरभाष : 2582851–53(PBX)
वेबसाइट : www.upsidc.com
ई.मेल : md@upsidc.com

संदर्भ सं0 /यूपीसीडा/आई0ए0/ दिनांक /07/2021

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण के संचालक मण्डल की दिनॉक 22.06.2021 को सम्पन्न 38वीं बैठक में लिए गए निर्णय के कम में प्राधिकरण के समस्त अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्रों में आवंटित औद्योगिक/व्यवसायिक/ग्रुप हाउसिंग/संस्थागत उपयोग हेतु आरक्षित भूखण्डों के समय विस्तारण हेतु निर्गत कार्यालय आदेश संख्या 2043/एसआईडीसी/आईए दिनॉक 18.12.2018, आदेश संख्या 3896–3902/एसआईडीसी/आईए दिनॉक 03.09.2019, आदेश संख्या 2484–87/एसआईडीसी/आईए/पा0वा0–17 दिनॉक 09.10.2017 एवं आदेश संख्या 1660–1666/ एसआईडीसी/आईए दिनॉक 07.10.2020 द्वारा प्रचलित समय विस्तारण नीति में निम्नवत् संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैः–

1. प्राधिकरण के औद्योगिक विकास क्षेत्रों में समस्त भू–उपयोगों के भूखण्डों पर प्रचलित समय विस्तारण शुल्क की वार्षिक दरों के 1/12 दर पर प्रतिमाह समय विस्तारण शुल्क आवंटियों/हस्तान्तरियों पर भारित किया जाए। आवंटियों/हस्तान्तरियों द्वारा न्यूनतम एक माह अथवा उसके गुणाँक की अवधि हेतु समय विस्तारण के आवेदन अनुमन्य होगें।

2. प्राधिकरण के औद्योगिक विकास क्षेत्रों में समस्त भू–उपयोगों के ऐसे भूखण्ड जिन पर प्राधिकरण द्वारा भौतिक कब्जा हस्तगत किया जाना सम्भव न होने पर आवंटियों/हस्तान्तरियों द्वारा भूखण्डों के नियमानुसार रिफण्ड/भूखण्ड परिवर्तन के उपलब्ध विकल्पों का चयन न करते हुए भूखण्ड का आवंटन यथावत रखे जाने पर प्राधिकरण द्वारा भौतिक कब्जा हस्तगत करने का प्रस्ताव निर्गत करने की तिथि से आवंटियों/हस्तान्तरियों द्वारा प्राधिकरण के नियमानुसार समय विस्तारण शुल्क देय होगा।

3. प्राधिकरण के औद्योगिक विकास क्षेत्रों मे समस्त भू–उपयोगों के ऐसे भूखण्ड जिनपर आवंटियों/हस्तान्तरियों द्वारा पट्टा–विलेख निष्पादित न करते हुए भूखण्ड पर इकाई उत्पादनरत कर दी गई हो ऐसे प्रकरणों मे प्रचलित नियमानुसार इकाई को उत्पादनरत करने की तिथि तक समय विस्तारण शुल्क देय होगा।

4. उपरोक्त बिन्दु संख्या–3 में आच्छादित भूखण्डो के पट्टा–विलेख निष्पादित करने हेतु प्राप्त आवेदन की तिथि को प्रचलित लीज प्रीमियम दर का 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज सहित विलम्ब शुल्क भारित करते हुए पट्टा–विलेख निष्पादित किया जायेगा। विलम्ब शुल्क भूखण्ड के आवंटन/हस्तान्तरण पत्र निर्गत करने के उपरान्त पट्टा–विलेख निष्पादित करने हेतु अनुमन्य 90 दिनों की अवधि के उपरान्त पट्टा–विलेख निष्पादित करने हेतु आवेदन की तिथि तक की अवधि हेतु भारित होगा।

ऐसे समस्त प्रकरणों में भूखण्डो पर आवंटियो/हस्तान्तरियो द्वारा इकाई उत्पादनरत किये जाने के प्राधिकरण के नियमानुसार साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व आवंटी/हस्तान्तरी का होगा । ऐसे समस्त प्रकरणों में पूर्व आवंटित भूखण्डो के आवंटियो/हस्तान्तरियो को आवेदन हेतु दिनॉक 31.12.2021 तक की समयावधि अन्तिम अवसर के रूप में उपलब्ध होगी।

Scanned with CamScanner

5. उपरोक्त संशोधन कार्यालय आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व निस्तारित प्रकरणों में प्रभावी नहीं होगें तथा समस्त प्रकरणों का निस्तारण कार्यालय आदेश संख्या 17–21/यूपीसीडा/आईए/डेलीगेशन आफ पावर दिनॉक 01.04.2021 में समय विस्तारण प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रतिनिधायित अधिकारों के अनुसार निस्तारित किये जायेगें।

प्राधिकरण की प्रचलित समय विस्तारण नीति लागू किये जाने हेतु संदर्भित समस्त कार्यालय आदेश उपरोक्त सीमा तक तत्काल प्रभाव से संशोधित माने जायेगें तथा कार्यालय आदेश निर्गत होने की तिथि से पूर्व निस्तारित समस्त प्रकरणों में उक्त संशोधन प्रभावी नहीं होगें।

(मयूर माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संदर्भ सं0 740-47/यूपीसीडा/आई0ए0/पालसी–वाल्यूम–17 दिनांक 07/07/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–मा0 अध्यक्ष, यूपीसीडा, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव–मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
3. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (आर/एन), यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
4. समस्त अनुभागाध्यक्ष, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
5. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी/वरिष्ठ प्रबन्धक–सिविल/विद्युत, यूपीसीडा
6. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, औ0क्षे0 अनुभाग, मुख्यालय, यूपीसीडा, कानपुर।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर अनुभाग, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर को प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने के निर्देश के साथ।
8. गार्ड फाईल

(मयूर माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Scanned with CamSca